कृषि में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना

महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना क्या है?

महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना लक्ष्य के स्थान पर एक प्रक्रिया है। मुख्य धारा वाली विद्यमान संस्थाओं में महिलाओं के एकीकरण के प्रयास उनके स्वयं के हित के लिए अधिक महत्व नहीं रखते हैं। हम लिंग समानता हासिल करने तथा विकासात्मक कार्यसूचियों की प्रासंगिकता में सुधार लाने के लिए महिलाओं की समानता के मुद्दों को उठाते हैं। ऐसा दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि महिलाओं को हाशिए पर लाने तथा लिंग–संबंधी असमानताओं का मूल्य सभी स्तरों पर चुकाया गया है।

महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना ''किसी योजनाबद्ध कार्य जिसमें विधान, नीतियां अथवा कार्यक्रम शामिल हैं, के सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए विवक्षाओं के आकलन की प्रक्रिया है। यह महिलाओं तथा पुरुषों की चिताओं और अनुभवों को समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के एक एकीकृत आयाम में निर्मित करने की रणनीति है ताकि महिलाएं और पुरुष समान रूप से लाभान्वित हों और असमानता का स्थायीकरण न हो। इसका परम लक्ष्य लिंग समानता हासिल करना है।

लिंग और कृषि विकास

कृषि में स्वरोजगार तथा मजदूरी पर रोजगार, दोनों ही शामिल हैं और तदनुसार इसके लिए इस बारे में सटीक जानकारी अपेक्षित होती है कि कौन क्या करता है? वस्तुतः कृषि समुदाय के 75 प्रतिशत जोत–क्षेत्र का परिमाण कम है तथा उन भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में समय के साथ वृद्धि हुई है जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं। अतः यह स्थिति पुरुषों और महिलाओं तथा बालकों – लड़कियों और लड़कों द्वारा क्रियाकलाप निष्पादन की समझ की मांग करती है जिनके जीवन आधारभूत रूप से अलग–अलग तरीकों से संरचित हैं। उनके जीवन के प्रतिमान, कार्य के प्रतिमान, संपर्क शैली तथा वैज्ञानिक सूचना के आदान–प्रदान का तरीका सामाजिक–आर्थिक समूहों में भिन्न है। इसी प्रकार, श्रम का एक लिंग–आधारित विभाजन सार्वभौमिक है परंतु संस्कृति और समुदाय की भिन्नताएं इनमें विभेद उत्पन्न करती हैं।

अतः लिंग को ऐसी सामाजिक विशेषता के रूप में मान्यता देनी चाहिए जो जाति, वर्ग, व्यवसाय, आयु और मानवीयता से ऊपर है। यह लिंग ही है, जो कृषि में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों, संसाधनों, बाधाओं और अवसरों में विभेद करता है जिसके लिए लिंग संबंधी समुचित जानकारी समय की मांग है।

कृषि के विकास में लिंग समानता के निर्माण के परिणामस्वरूपः

- पारस्परिक रूप से सीखने और ज्ञान बांटने के लिए महिलाओं और पुरुषों की नैसर्गिक शक्ति का निर्माण होगा।
- लिंग–संबंधी विकृत पूर्वाग्रहों की समाप्ति होगी
- विकास क्रियाकलापों में लिंग संदर्शों को प्रतिपादित किया जाएगा।
- लिंग के विषय में संवेदनशीलता सृजित करने के लिए महिलाओं से पुरुषों तथा पुरुषों से महिलाओं तक कार्रवाई की जाएगी।

लिंग अवधारणाएं

लिंग

पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतरों की पहचान करता है, जैसे महिलाएं जन्म दे सकती हैं और पुरुष शुक्राणु उपलब्ध कराते है। लिंग भूमिकाएं सार्वभौमिक है।

लिंग–संबंधी भेदभाव

लिंग के आधार पर निर्णय लेने अथवा कार्रवाई करने की प्रवृत्ति।

महिलाओं के लिए समान अवसर

महिलाओं के लिए समान अवसर यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि महिलाओं और पुरुषों के पास विकास प्रक्रियाओं और परियोजनाओं, कार्यक्रमों और नीति की सभी अवस्थाओं पर संसाधनों, विकास लाभों और निर्णय लेने के संबंध में समान पहुंच और नियंत्रण उपलब्ध है।

लिंग संवेदनशीलता

लिंग संवेदनशीलता में विद्यमान लिंग विभेदों, मुद्दों और असमानताओं को स्वीकार तथा प्रदर्शित करने की योग्यता शामिल होती है तथा यह इन्हें कार्यनीतियों और कार्रवाइयों में सम्मिलित करती है।

लिंग समानता

लिंग समानता अवसरों तथा संसाधनों अथवा लाभों के आबंटन अथवा सेवाओं तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति का परिणाम है।

लिंग साम्या

लिंग साम्या पुरुषों और महिलाओं के बीच लाभों और उत्तरदायित्वों के वितरण में युक्तिसंगतता और न्याय का प्रावधान सुनिश्चित करती है। यह अवधाराणा मान्यता देती है कि महिलाओं और पुरुषों की भिन्न–भिन्न आवश्यकताएं और शक्तियां होती है तथा इनका इस रीति से निवारण किया जाना चाहिए जिससे लिंग के मध्य असंतुलनों को दूर किया जा सके।

अथवा

ऐसी परिस्थिति जिसमें महिलाएं और पुरुष समान रूप से सहभागिता करते है, उनकी संसाधनों तक समान पहुंच होती है तथा उनके पास नियंत्रण के प्रयोग में समान अवसर होते है।

लिंग संबंधी मुद्दे

महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताओं के निर्दिष्ट परिणाम।

सशक्तीकरण

अपने जीवन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्षमता का सृजन और निर्माण करने की प्रक्रिया।

श्रम का लिंग विभाजन

लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों को निर्दिष्ट की गई भूमिकाएं, उत्तरदायित्व और क्रियाकलाप।

लिंग गैर–संचयित आंकड़े

लिंग विश्लेषण के लिए पुरुषों और महिलाओं पर विभेदकारी प्रभावों का आकलन करने में समर्थ होने के उद्देश्य से समस्त लिंग आंकड़े पृथक किए जाने चाहिए।

लिंग आयोजना

लिंग आयोजना का अर्थ है ऐसे विकासात्मक कार्यक्रमों और परियोजनाओं की आयोजना की प्रक्रिया जो लिंग संवेदी है तथा जिसमें लक्ष्य समुदाय अथवा क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की विभेदकारी लिंग संबंधी भूमिकाओं तथा लिंग संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें न केवल महिलाओं और पुरुषों की व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त दृष्टिकोणों का चयन शामिल है, बल्कि यह असमान संबंधों को चुनौती देने (अर्थात् कार्यनीतिक आवश्यकताएं) तथा नीतिगत वार्ता के लिंग–उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिए प्रवेश बिंदुओं की पहचान भी करता है।

लिंग भूमिकाएं

लिंग भूमिकाएं एक निश्चित समाज/समुदाय अथवा अन्य विशेष समूह में सीखे गए व्यवहार हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि कौन से क्रियाकलापों, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों की पुरुष और महिलाओं के रूप में परिकल्पना की जाती है। लिंग भूमिकाएं आयु, वर्ग, नस्ल, नृजातीयता और धर्म द्वारा तथा भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होती हैं। लिंग भूमिकाओं के परिवर्तन प्रायः बदलती हुई आर्थिक, प्राकृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होते हैं जिनमें विकास प्रयास शामिल होते हैं।

पुरुष और महिलाएं, दोनों ही समाज में अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। महिलाओं की लिंग भूमिकाओं को प्रजननकारी, उत्पादक और समुदाय प्रबंधन भूमिकाओं के रूप में पहचाना जा सकता है जबकि पुरुषों को या तो उत्पादक अथवा समुदाय राजनीतिज्ञ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पुरुष किसी विशिष्ट उत्पादक भूमिका के प्रति ध्यान केन्द्रित करने में समर्थ होते हैं और वे अपनी अनेक भूमिकाओं का निर्वाह क्रमिक रूप से करते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अपनी भूमिकाओं का निर्वाह साथ–साथ करती हैं तथा उनमें से प्रत्येक के लिए वे प्रतिस्पर्धा दावों में संतुलन स्थापित करती हैं।

उत्पादक भूमिकाएं

इसका अर्थ है पुरुषों और महिलाओं द्वारा विक्रय, विनिमय अथवा परिवार की निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से संचालित किए गए क्रियाकलाप। उदाहरण के लिए कृषि में उत्पादक क्रियाकलापों में शामिल है – फसल उगाना, पशुपालन और बागवानी जो स्वयं कृषकों अथवा नियोजन में लगे अन्य लोगों के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं।

प्रजननकारी भूमिकाएं

इसका अर्थ है समाज की श्रम शक्ति का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्रियाकलाप। इसमें बच्चों का जन्म, उनका पालन–पोषण तथा परिवार के सदस्यों जैसे बालक, वृद्ध और श्रमिक की देख–रेख शामिल है। ये कार्य सामान्यतः महिलाओं द्वारा किए जाते हैं।

समुदाय प्रबंधन भूमिकाएं

सामूहिक उपभोग के दुर्लभ संसाधनों जैसे जल, स्वास्थ्य–देखरेख, और शिक्षा का प्रावधान और रख–रखाव सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से महिलाओं द्वारा समुदाय स्तर पर उनकी उत्पादक भूमिका के विस्तार के रूप में निष्पादित किए गए क्रियाकलाप। ये ''फुर्सत'' के समय में संचालित किए जाने वाले बिना वेतन के स्वैच्छिक कार्य हैं।

समुदाय राजनीतिक भूमिका

मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा समुदाय स्तर पर निष्पादित किए जाने वाले क्रियाकलाप जो औपचारिक राजनीतिक स्तर पर तथा प्रायः राष्ट्रीय राजनीति के ढांचे के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। ये कार्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा संचालित किए जाते हैं तथा इनके लिए प्रत्यक्षतः भुगतान प्राप्त हो सकता हैं अथवा इनके परिणामस्वरूप शक्ति और दर्जे में वृद्धि हो सकती है।

तिहरी भूमिका/अनेक बोझ

इन पदबंधों का अर्थ इस तथ्य में निहित है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक कार्य करती हैं क्योंकि सामान्यतः वे तीन विभिन्न लिंग भूमिकाओं में शामिल होती हैं – प्रजनन, उत्पादक और समुदाय कार्य।

लिंग आवश्यकताएं

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके लिंगों के आधार पर महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न–भिन्न हैं, उनकी लिंग–संबंधी आवश्यकताएं भी भिन्न होंगी। इन आवश्यकताओं को रणनीतिक अथवा व्यावहारिक आवश्यकताओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

व्यावहारिक लिंग आवश्यकताएं (पीजीएन)

व्यावहारिक लिंग आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं हैं जिनकी पहचान महिलाओं द्वारा समाज में उनकी सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य भूमिकाओं के आधार पर की जाती है, हालांकि वे श्रम के लिंग विभाजन तथा समाज में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति में उत्पन्न होती हैं। पीजीएन तात्कालिक एवं परिकल्पित आवश्यकता की प्रतिक्रिया है जिसकी पहचान निर्दिष्ट संदर्भ के भीतर की जाती है। उनकी प्रकृति व्यावहारिक होती है तथा प्रायः वे रहन–सहन की परिस्थितियों से संबंधित होती हैं जैसे जल का प्रावधान, स्वास्थ्य–देखरेख और रोजगार।

कार्यनीतिक लिंग आवश्यकताएं (एसजीएन) :

कार्यनीतिक लिंग आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं हैं जिनकी पहचान महिलाएं समाज में उनकी अधीनस्थ स्थिति के कारण करती हैं। वे श्रम, शक्ति और नियंत्रण के लिंग विभाजनों से संबंधित विशिष्ट संदर्भों के अनुरूप भिन्न–भिन्न होती हैं तथा उनमें विभिन्न मुद्दे शामिल होते हैं जैसे विधिक अधिकार, घरेलू हिंसा, समान वेतन तथा अपने निकायों पर महिलाओं का नियंत्रण और इस प्रकार महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को चुनौती दी जाती है। वे व्यावहारिक लिंग आवश्यकताओं की तुलना में अधिक दीर्घकालिक तथा कम दृश्यमान होती हैं।

कृषि का नारीकरण

विश्व के अनेक भागों में आज इस दिशा में रूझानों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसे 'कृषि का नारीकरण' कहा जाता है। जैसे–जैसे कृषि में पुरुषों की भागीदारी कम होती जा रही है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका निरंतर प्रधान बनती जा रही है। युद्ध, बीमारी और एचआईवी/एड्स के कारण होने वाली मृत्युओं ने ग्रामीण पुरुष जनसंख्या में कमी कर दी है। इस प्रक्रिया का एक अन्य मुख्य कारण है पुरुषों का

सवेतन रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से अपने स्वयं के देशों अथवा विदेशों के नगरों और शहरों में पलायन करना।

श्रम तथा पूंजी की कमी के परिणामस्वरूप, महिलाएं अपने परिवारों की मुखिया होने के नाते प्रायः फसल पैटर्नों तथा कृषि प्रणालियों में समायोजन करने के लिए विवश हो जाती है। इन समायोजनों के परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आई है तथा कुछ मामलों में, कम पोषक फसलों की ओर रूपांतरण भी किया गया है। इसमें आश्चर्य नहीं कि ये परिवार प्रायः अत्यधिक कुपोषण और खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं।

कृषि में लिंग–संबंधी मुद्दे

– कृषि का नारीकरण
– कार्य का अत्यधिक बोझ
– प्रौद्योगिकी का प्रभाव
– सुविधाएं तथा सहायक सेवाएं
– विकास संबंधी भेदभाव
– संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच में बाधाएं
– भूमि तक पहुंच
– ऋण तक पहुंच
– बाजारों तक पहुंच
– शोध और प्रौद्योगिकी विकास
– विस्तार और प्रशिक्षण तक पहुंच
– महिलाओं की शिक्षा
– कृषक महिलाओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

लिंग विश्लेषण

लिंग विश्लेषण लिंग–संबंधी प्रतिक्रियात्मक आयोजना और कार्यक्रम–निर्धारण के लिए पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें लिग–गैर–संचयित सूचना का संग्रहण और विश्लेषण शामिल है। यह महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतरों, समानताओं तथा संपर्कों की जांच करता है। लिंग–विश्लेषण महिलाओं और पुरुषों के विशिष्ट क्रियाकलापों, परिस्थितियों, आवश्यकताओं, संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण तथा विकासात्मक लाभों एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया तक पहुंच की जांच करता है।

चूंकि पुरुष और महिलाएं, दोनों ही भिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, उनके अनुभव, ज्ञान, प्रतिभाएं और जरूरतें भी भिन्न होती हैं। लिंग–विश्लेषण इन अंतरों का पता लगाता है ताकि नीतियां, कार्यक्रम और परियोजनाएं पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान कर सकें तथा उनकी पूर्ति कर सकें।

विकास संबंधी क्षेत्रों में लिंग–विश्लेषण संचालित करने की अनेक प्रक्रियाएं और पद्धतियां हैं : मोसर फ्रेमवर्क, हार्वर्ड विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क, सामाजिक–संबंध फ्रेमवर्क, लांगवे फ्रेमवर्क तथा अन्य। प्रत्येक मॉडल की अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। कुछ सूक्ष्म–आयोजना के लिए लाभदायक हैं तथा लिंग–भूमिकाओं को अधिक महत्व देते हैं (हार्वर्ड फ्रेमवर्क) जबकि अन्य सामाजिक संबंधों की जांच पर बल प्रदान करते हैं। कुछ को महिलाओं की अधिकारिता पर विशेष रूप में ध्यान देने के लिए तैयार किया गया है।

लिंग–विश्लेषण संचालित करने के लिए मुद्दों के केन्द्रीय सेट का निवारण किया जाना चाहिए, जो है :

महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएं	कौन क्या करता है तथा किन संसाधनों के साथ? पुरुषों और महिलाओं के उप–समूहों के भीतर अंतरों पर विशेष रूप से ध्यान देना (उदाहरण के लिए वृद्ध महिलाएं, किशोर युवतियां, शहरी क्षेत्रों के पुरुष, आदि)। विशेष रूप से, महिलाएं तीन प्रकार की भूमिकाएं निभाती हैं : उत्पादक भूमिकाएं (सवेतन अथवा निःशुल्क), प्रजनन भूमिकाएं (परिवार की जीवन–परिस्थितियों और बुनियादी जरूरतों को पूरा करना–सामान्यतया वेतनहीन कार्य) और समुदाय भूमिका।
वे कारक जो लिंग भूमिकाओं तथा कार्य के लिंग विभाजन का निर्माण करते हैं	परिस्थितियों, परंपराओं तथा संस्थाओं पर निर्भर करना जो लिंग–भूमिकाओं का निर्माण करती हैं तथा महिलाओं और पुरुषों के लिए बाधाओं और/अथवा अवसरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह समझना कि किस हद तक तथा कब उनमें से कोई एक अथवा अन्य सांस्कृतिक दृष्टि से उपयुक्त कार्यक्रमों और परियोजनाओं को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
संसाधनों और अवसरों की पहुंच और उन पर नियंत्रण तथा वितरण की उनकी प्रणाली	सभी पुरुषों और महिलाओं की संसाधन और अवसरों तक समान पहुंच और नियंत्रण नहीं होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं (और इसके विपरीत) की स्थिति का आकलन करने तथा कार्रवाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रवेश–बिंदु निर्धारित करने के लिए उन तंत्रों और नियमों को समझना महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा संसाधनों और सुविधाओं का वितरण किया जाता है।

निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पहुंच तथा उनमें सहभागिता	कौन निर्णय लेता है? महिलाओं और पुरुषों के जीवनों तथा उनके परिवारों को प्रभावित करने वाले निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं? क्या ऐसी प्रक्रियाओं में सहभागिता करने के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है अथवा उन्हें समान अवसर प्रदान किया जाता है?
पुरुषों और महिलाओं की व्यावहारिक और कार्यनीतिक आवश्यकताएं और रुचियां	उनके संबंधित भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए, कौन किस प्रयोजन के लिए क्या चाहता है?

लिंग बजटिंग

लिंग बजटिंग क्या है?

लिंग बजटिंग सरकारी बजट का विश्लेषण है जिसका उद्देश्य इसके लिंग–विभेदकारी प्रभावों को स्थापित करना है ताकि बजटीय प्रतिबद्धताओं में महिलाओं के प्रति की गई प्रतिबद्धताओं का मूर्त स्वरूप प्रदान किया जा सके। इस प्रकार, लिंग बजटिंग सरकारी बजट पर लिंग–संबंधी संदर्भ से नजर दौड़ाती है ताकि यह आकलन किया जा सके कि यह किस प्रकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आदि क्षेत्रों में महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लिंग बजटिंग एक पृथक बजट का सृजन करने की अपेक्षा नहीं करती है, बल्कि यह महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करती है। लिंग के प्रति उत्तरदायी बजटिंग पहलकदम महिलाओं के संबंध में सरकारी राजस्व और व्यय के प्रभाव का आकलन करने का एक मार्ग उपलब्ध कराते हैं। **लिंग बजटिंग क्यों की जाए?** बजट को समूचे विश्व में विकास उद्देश्यों को पूरा करने में तथा सरकार की नीति में वर्णित प्रतिबद्धता के एक संकेतक के रूप में कार्य करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। **राष्ट्रीय बजट यह दर्शाते हैं कि सरकारें सार्वजनिक संसाधनों को किस प्रकार जुटाती हैं और आवंटित करती हैं तथा वे अपने लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किस प्रकार लक्ष्य निर्धारित करती है।** लिंग बजटिंग का तर्काधार इस तथ्य की मान्यता से उत्पन्न होता है कि राष्ट्रीय बजट समाज के विभिन्न वर्गों पर संसाधन आवंटन के प्रतिमानों तथा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों को प्रदान की गई प्राथमिकता के माध्यम से भिन्न–भिन्न प्रभाव डालते हैं। सरकार की बजटीय नीति राजवित्तीय और मौद्रिक नीतियों की विषय–वस्तु और निदेशों,

संसाधन संघटित किए जाने के लिए उपायों, वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक कार्यवाहियों, आदि के माध्यम से लिंग समानता और विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रमुख भूमिका निभाती है। महिलाएं जनसंख्या के एक खण्ड के रूप में पृथक खड़ी दिखाई देती है, जिसके फलस्वरूप उन पर उनकी सुभेद्यता तथा राज्य के संसाधनों तक उनकी पहुंच के अभाव के कारण विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। **अतः महिलाओं के प्रति उत्तरदायी बजट नीतियां लिंग समानता, मानव विकास और आर्थिक कार्यकुशलता की प्राप्ति करने में योगदान प्रदान कर सकती हैं।** लिंग बजटिंग कवायद का उद्देश्य महिलाओं के लिए संसाधनों के आवंटन की मात्रा और पर्याप्तता का आकलन करना तथा उस परिमाण को स्थापित करना है, जिस तक सरकार की प्रतिबद्धताएं बजटीय प्रतिबद्धताओं में प्रतिपादित होती हैं। यह कवायद **समुदाय के उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और प्रतिभागिता** में वृद्धि करने में सहायता करती है। सरकार की वृहद नीतियां स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, आदि से संबंधित विभिन्न वृहद संकेतकों में लिंग संबंधी स्तरों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकती हैं। महिलाओं को सामन अवसर प्रदान करने के लिए एक लिंग–संवेदी नीति की आवश्यकता है। जब लिंग समानता विचारणों को नीति तैयार करने में शामिल किया जाता है, तो महिलाओं और पुरुषों, दोनों की चिंताएं और आवश्यकताएं, समाज के सभी वर्गों की नीतियिों और कार्यक्रमों को तैयार करने, उनके क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन का अभिन्न भाग बन जाती हैं।

लिंग बजटिंग की अवधारणा का उद्भव

प्रारंभिक कार्योत्तर सांख्यिकीय कवायद के बाद से पिछले कुछ वर्षों में लिंग बजटिंग पर संदर्श में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसने केन्द्रीय और राज्य बजटों में महिलाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले संसाधनों के परिमाण को स्थापित किए जाने की मांग की। आज लिंग बजट विश्लेषण की परिधि को लिंग–संदर्श के साथ निम्न की जांच करने के अधिदेश के रूप में देखा जाता है,

- सार्वजनिक नीतियां – राजवित्तीय और मौद्रिक, व्यापार टैरिफ, आदि।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लिए बजटीय आवंटन – उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए सामाजिक क्षेत्र में आवंटन।
- विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों की विषय–वस्तु और निर्देश– काम के बदले अनाज में महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ।
- विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं का क्रियान्वयन तथा लाभों की घटनाएं – लक्ष्यों की प्राप्ति।

- सार्वजनिक व्यय तथा वृहद संकेतकों पर प्रभाव जैसे साक्षरता, कार्यबल में प्रतिभागिता, एमएमआर, आदि।

महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना – नया मंत्र

लिंग बजटिंग का पारंपरिक दृष्टिकोण अर्थात महिलाओं के लिए सार्वजनिक व्यय को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अलग रखना, व्यापक लिंग बजटिंग कवायद के अंतर्गत एक केन्द्रीय क्रियाकलाप बना हुआ है जिसके साथ क्रियाविधि को और परिष्कृत बनाना तथा सार्वजनिक व्यय के सभी स्तरों पर अनुप्रयोग के लिए उपकरणों का सार्वभौमीकरण भी शामिल है।

तथापि, लिंग बजटिंग की अवधारणा के अंतर्गत एक व्यापक संदर्श भी उभर रहा है – महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना। सार्वजनिक व्यय तथा नीति पर लिंग संदर्श अब सामाजिक क्षेत्र के विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि की परिधि तक ही सीमित नहीं रह गया है। सार्वजनिक व्यय, राजस्व और नीति के सभी क्षेत्रों को लिंग संदर्श से देखने की आवश्यकता है।

यह पहचानना आवश्यक है कि महिलाएं अर्थव्यवस्था में समान रूप से भागीदार है भले ही वे कामगारों के रूप में प्रत्यक्षतः भागीदारी करती हों अथवा अर्थव्यवस्था की देखभाल करने वाले सदस्यों के रूप में अप्रत्यक्षतः। इस दिशा में, सरकार की प्रत्येक नीति, चाहे वह राजवित्तीय हो, मौद्रिक हो या व्यापार संबंधी, के महिलाओं की कुशलता पर प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। अतः अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों के लिए संसाधनों के आवंटन का विस्तापूर्वक विश्लेषण करना पर्याप्त नहीं है जिन्हें पारंपरिक रूप से महिलाओं से संबंधित माना जा सकता है। विश्लेषण में सार्वजनिक व्यय के प्रत्येक रुपए को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें उस तरीके को भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे स्कीमों की परिकल्पना की जाती है तथा यह भी देखा जाना चाहिए अपने क्रियान्वयन तथा लाभार्थियों को लक्ष्यित करने में वे महिलाओं के लिए कितनी अनुकूल हैं। इसमें मौद्रिक नीतियों के लिंग संवेदी विश्लेषण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति, ब्याज दर आदि जैसे कारकों तथा कराधान, सीमाशुल्क आदि को शामिल करते हुए राजवित्तीय नीतियों के प्रभाव को भी कवर किया गया हो। अतः लिंग बजटिंग विश्लेषण को महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में, यह एक विशालतम कार्य है, जब बड़ी संख्या में ऐसा गैर–संचयित डाटा विद्यमान है जिसे लिंग के प्रति संवेदनशील बनाया जाना है और उसका विश्लेषण किया जाना है। सार्वजनिक और राजवित्तीय नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्म

अध्ययन संचालित किए जाने चाहिए ताकि वे वृहद् नीतियों का मार्गदर्शन कर सकें। अतः महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाने के लिए बड़ी मात्रा में क्रियाकलाप संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

नीतियों में अंतर्निहित लिंग–संबंधी प्रतिबद्धताएं

पिछले कई वर्षों में योजना दस्तावेज ने लिंग–संबंधी मामलों में विकासशील प्रवृत्तियां दर्शाई हैं।

सातवीं योजना में डीडब्ल्यूसीडी द्वारा महिलाओं के लिए 27 लाभार्थी–उन्मुखी योजनाओं के अनुश्रवण की अवधारणा आरंभ की। यह कवायद जारी है तथा कवर की गई योजनाओं की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

आठवीं योजना (1992–97) ने पहली बार एक लिंग संदर्श दर्शाया तथा महिलाओं को सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों से निधियों का एक निश्चित प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। योजना दस्तावेज में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया गया था कि ''.......विभिन्न क्षेत्रों से विकास के लाभों से महिलाओं को वंचित नहीं किया जाना चाहिए तथा सामान्य विकास कार्यक्रमों के साथ–साथ महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, सामान्य विकास कार्यक्रम भी लिंग के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता व्यक्त करेंगे।''

नौवीं योजना (1997–2002) में एक प्रमुख रणनीति के रूप में ''महिला अवयव योजना'' अंगीकृत की गई तथा केन्द्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि ''महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों में 30 प्रतिशत से अन्यून निधि/लाभ आवंटित किए जाएं।'' एक प्रभावी तंत्र के माध्यम से निर्धारित की गई धनराशि/लाभों के प्रवाह पर विशेष निगाह रखने की भी हिमायत की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित कार्यनीति महिला सशक्तीकरण के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का सृजन कर रही है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति 2001 में एक प्रचालनात्मक कार्यनीति के रूप में बजटीय प्रक्रिया में लिंग संदर्श को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

दसवीं योजना लिंग बजटिंग की प्रतिबद्धता को पुनःप्रवर्तित करती है ताकि इसके लिंग–विभेदी प्रभाव को स्थापित किया जा सके तथा लिंग के प्रति की गई प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में रूपांतरित किया जा सके।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में उल्लेख किया गया है ''लिंग समानता में मंत्रालयों और विभागों में नीतियों और स्कीमों में पर्याप्त उपबंधों की अपेक्षा की गई है''। इसमें **'समस्त स्तरों पर लिंग बजटिंग के कड़े अनुपालन'** की भी अपेक्षा की गई है।

लिंग बजटिंग क्रियाकलापों का रणनीतिक ढांचा

एक परामर्श प्रक्रिया के पश्चात्, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपनी पहल के लिए मिशन वक्तव्य के रूप में "लिंग साम्या के लिए बजटिंग" को अपनाया है तथा क्रियाकलापों का एक विस्तृत ढांचा तैयार किया है जो महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए कार्रवाई क्षेत्रों का निर्माण करेगा।

केन्द्रीय, राज्यों और स्थानीय प्रशासनों के बजटों में महिलाओं के लिए आवंटित संसाधनों का परिमाण तथा उनका व्यय

- क्रियाविधि को परिष्कृत और मानकीकृत करना तथा उपकरणों का विकास
- प्रवृत्तियों का विश्लेषण
- प्रतिमानों में परिवर्तन, सेवाओं के समूहों के मध्य आवंटन में प्राथमिकताओं का रूपांतरण, आदि।
- संसाधनों के आवंटन तथा वास्तविक व्यय में अंतर।
- वास्तविक लक्ष्यों का अनुपालन।

सरकार की नीतियों की लिंग लेखापरीक्षा – केन्द्र और राज्य स्तरों पर मौद्रिक, राजवित्तीय, व्यापार, आदि

- वृहद नीतियों जैसे ऋण नीति, कर आदि को मार्गदर्शित करने के लिए अनुसंधान और सूक्ष्म अध्ययन, लिंग निष्पक्ष के रूप में देखी गई नीतियों/हस्तक्षेपों के सामान्य प्रभाव की पहचान।
- लिंग–संबंधी असंतुलन को सही करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यकता की पहचान हेतु सूक्ष्म अध्ययन।

केन्द्र और राज्य के बजटों में विभिन्न स्कीमों के प्रभाव का आकलन

- लाभों की घटना पर सूक्ष्म–अध्ययन।
- **महिलाओं की स्थिति पर उनके प्रभावों के संदर्श से** कार्यक्रमों, कार्यनीतियों हस्तक्षेपों और नीति संबंधी पहलों का विश्लेषण करना जैसाकि महत्वपूर्ण वृहद् संकेतकों में दर्शाया गया है अर्थात साक्षरता, एमएमआर, कार्यबल में प्रतिभागिता।

- उदाहरणार्थ – महिलाओं के स्वास्थ्य पर संबंधित विभिन्न हस्तक्षेपों के अवयव और विषय–वस्तु का विश्लेषण तथा स्कीम/दृष्टिकोण तैयार करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई हेतु आवश्यकता स्थापित करने के प्रयोजनार्थ एमएमआर जैसे संकेतकों के साथ इसे सहसंबद्ध करना।

सेवाओं के वितरण की लागत के लिंग–संबंधी गैर–संचयित आंकड़ों के सृजन और संग्रहण का सांस्थानीकरण

- क्रियान्वयन एजेंसियों से फीडबैक के लिए एमआईएस विकसित करना।
- एनएसओ, सीएसओ आदि द्वारा जनगणना और सर्वेक्षणों में आंकड़ा संग्रहण में नए मापदण्डों का समावेश।

परामर्श और क्षमता निर्माण

- श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुसंधान और आदान–प्रदान का परितुलन।
- विशेषज्ञों और पणधारकों के मध्य फोरमों और भागीदारियों के प्रसार के लिए क्रियाविधियां तथा उपकरण विकसित करना।

सहभागिता में लिंग साम्या स्थापित करने के लिए निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा

- निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी की सीमा की समीक्षा तथा निर्णय लेने तथा महिलाओं की अधिकतम भागीदारी में लिंग समानता पर लक्ष्यित प्रक्रियाएं और मॉडल स्थापित करना।
- सूचित न किए जाने वाले क्षेत्रों जैसे देखरेख अर्थव्यवस्था, घरेलू मवेशियों के पालन में बिना वेतन कार्य में उनके क्रियाकलापों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान का चित्रण करने के लिए उपग्रह खातों को तैयार करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना।

लिंग बजटिंग के उपकरण

सार्वजनिक व्यय और नीति की लिंग संवेदी पुनरीक्षा के लिए दिशानिर्देश

इन्हें महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जांच सूची । और ।। के रूप में तैयार किया गया है। जांच सूची –। ऐसे कार्यक्रमों के लिए है जो लाभार्थी–उन्मुखी है तथा इनमें विशेष रूप से महिलाओं को लक्ष्य बनाया गया है। जांच सूची–।। में मुख्य धारा के क्षेत्र शामिल हैं।

लिंग–विशिष्ट व्यय के लिए जांच सूची–I

पारंपरिक रूप से, महिलाओं से संबंधित व्यय को अलग किए जाने के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों के लिए लिंग बजट विश्लेषण संचालित किए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन, युवा और खेल कार्यक्रम, श्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य, पेयजल, लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, वस्त्र और कृषि। लिंग–विशिष्ट प्रकृति के कार्यक्रमों/स्कीमों को चलाने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए जाने वाले सुझाए गए कदम अर्थात जहां लाभार्थियों में मुख्य रूप से महिलाओं को लक्ष्यित किया जाता है, निम्नलिखित हैं:

आयोजना और बजटिंग

- **ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों की सूची जो लिंग–विशिष्ट हैं।**
- महिलाओं के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत **संचालित किए जाने वाले क्रियाकलापों** को संक्षेप में निर्दिष्ट करना।
- अपेक्षित आउटपुट संकेतकों को निर्दिष्ट करना जैसे महिला लाभार्थियों की संख्या, महिलाओं के नियोजन में वृद्धि, संसाधनों/आय/कौशलों आदि में परियोजनोत्तर वृद्धि।
- वार्षिक बजट तथा उनके वास्तविक लक्ष्यों में **संसाधनों के आवंटन में वृद्धि करना।**
- उन लक्ष्यित लाभार्थियों की संख्या के संदर्भ में **संसाधनों के आवंटन की पर्याप्तता** का आकलन करना जिनके लिए संबंधित व्यवस्थित हस्तक्षेप, पिछले व्यय की प्रवृत्ति आदि की आवश्यकता होती है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

- वास्तविक निष्पादन की समीक्षा – वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक और वित्तीय तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में **बाधाओं की पहचान** (जैसे वितरण अवसंरचना, क्षमता निर्माण, आदि को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता)।
- **वास्तविकता जांच संचालित करना** – कार्यक्रम हस्तक्षेप का मूल्यांकन, लाभ की घटनाएं, प्रभाव संकेतकों की पहचान करना जैसे **कार्यक्रम के पूर्व और उसके पश्चात महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति** ।

- व्यय के रूझान विश्लेषण तथा आउटपुट संकेतकों और प्रभाव संकेतकों का संकलन करना।

भावी आयोजना तथा सुधारात्मक कार्रवाई

- विभिन्न चरणों में पहचानी गई बाधाओं का निवारण करना।
- लक्ष्यित लाभार्थियों की संख्या/परिकल्पित समस्याओं जैसे आईएमआर, एमएमआर, साक्षरता दर आदि की मात्रा के संदर्भ में संसाधनों की आवश्यकता को स्थापित करना।
- उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता की पुनरीक्षा करना – वित्तीय और वास्तविक जैसे प्रशिक्षित मानवशक्ति आदि।
- पुनरीक्षा के परिणामों के आधार पर **नीतियों और/अथवा कार्यक्रमों/स्कीमों में आशोधन** की आयोजना बनाना।

मुख्यधारा वाले क्षेत्रों की जांच सूची ।।

- मुख्य धारा वाले क्षेत्रों जैसे रक्षा, विद्युत, दूरसंचार, संचार, परिवहन, उद्योग, वाणिज्य आदि को उनके व्यय के लिंग प्रभाव को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित जांच–सूची को अपनाने पर विचार करना।
- क्रियान्वित क्रियाकलापों के संक्षिप्त विवरण के साथ सार्वजनिक व्यय वाले सभी कार्यक्रमों की सूची बनाना।
- लाभार्थियों/प्रयोक्ताओं के लक्ष्य समूह की पहचान करना।
- यह स्थापित करना कि क्या प्रयोक्ताओं/लाभार्थियों को वर्तमान में लिंग द्वारा (पुरुष/महिलाओं) श्रेणीबद्ध किया जा रहा है, यदि नहीं, तो यह किस मात्रा तक व्यवहार्य है।
- सकारात्मक कार्रवाई जैसे कोटा, प्राथमिकता सूची आदि के माध्यम से अथवा सेवाओं के विस्तार, जो महिलाओं के अनुकूल है जैसे केवल महिलाओं वाले पुलिस स्टेशन, महिलाओं की विशेष बसें, आदि के माध्यम से महिलाओं के लिए सेवाओं तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए विशेष उपाय आरंभ किए जाने की संभावना की पहचान करना।
- लिग के संदर्श से इन सेवाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में नियोजन पैटर्न का विश्लेषण करना तथा महिलाओं की भर्ती में वृद्धि करने के लिए उपायों की जांच करना।

- नियोजन बल में अथवा प्रयोक्ताओं के रूप में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पहलों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- उस मात्रा को दर्शाना, जिस तक महिलाएं क्षेत्र के भीतर तथा संगठनों में विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में व्यस्त हैं तथा लिंग संबंधी भेदभावों और असंतुलनों को दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई आरंभ करना।
- आरंभ में, इन कवायदों को कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा आरंभ किया जा सकता है, जिन्हें या तो उनके परिकल्पित लिंग प्रभाव के संदर्भ में चुना जा सकता है अथवा अधिकतम बजट आवंटन के विचारणों के आधार पर चयन किया जा सकता है। उपर्युक्त कदमों को क्रियान्वित करने के परिणाम के आधार पर, लिंग बजटिंग कवायद को जांच सूची–। में वर्णित रीति से सांस्थानीकृत किया जाना चाहिए। मुख्य धारा वाले क्षेत्रों में लिंग संबंधी पहलों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

क. महिला उद्यमियों, विधवाओं, महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे परिवारों के लिए वाणिज्यिक/घरेलू बिजली कनेक्शनों में प्राथमिकता प्रदान करना। महिलाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसों/वाणिज्यिक भूखण्डों/पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों के आवंटन में प्राथमिकता, महिला सहकारिताएं/ स्व–सहायता समूह, आदि।

ख. सार्वजनिक व्यय के लिंग प्रोफाइलः यह लिंग के संदर्श से सभी स्कीमों और सार्वजनिक व्यय की समीक्षा तथा व्यय और वास्तविक लक्ष्यों के माध्यम से लिंग अवयव को पृथक करने की अपेक्षा करता है। लिंग अवयव की प्रवृत्ति उस परिमाण तक सांकेतिक है जिस तक बजटिंग महिलाओं के प्रति उत्तरदायी है।

ग. लाभार्थियों की आवश्यकताओं का आकलनः महिलाओं के दृष्टिकोण से आवश्यकताओं का निर्धारण करना तथा तदनुसार सार्वजनिक व्यय की प्रभावकारिता की पुनरीक्षा करना।

घ. प्रभाव विश्लेषणः निगरानी, मूल्यांकन और क्षेत्र–स्तर के सर्वेक्षणों के माध्यम से लिंग के संदर्श से सार्वजनिक व्यय और नीतियों के वास्तविक प्रभाव का निर्धारण करना। इसमें आशयित लाभों के प्रवाह की निगरानी भी शामिल है।

ड. **लिंग–गैर–संचयित सार्वजनिक व्यय लाभ घटना विश्लेषणः** इसमें उस परिमाण तक विश्लेषण की अपेक्षा की गई है, जिस तक पुरुष एवं महिलाएं सार्वजनिक दृष्टि से उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर किए गए व्यय से लाभान्वित होते हैं।

च. **लिंग–गैर–संचयित राजस्व घटना विश्लेषण**

इसमें सरकार द्वारा जुटाए गए राजस्व के प्रकार द्वारा महिलाओं और पुरुषों पर पड़े विभिन्न प्रभावों के विश्लेषण की अपेक्षा की जाती है। इसका आशय प्रत्यक्ष (आय, निगमित कर) तथा अप्रत्यक्ष करों (मूल्यवर्धित कर) और प्रयोक्ता शुल्कों के लिग संदर्श को समझना है।

लिंग बजटिंग – राज्य स्तर

27–28 जून, 2005 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से इस क्षेत्र में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल प्रदान किया।

''लिंग भेदभाव का मुद्दा एक ऐसा अन्य क्षेत्र है जिस पर मुख्य रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 2005–06 के केन्द्रीय बजट में, हमने 10 अनुदानों की मांगों के अंतर्गत बजटीय आवंटनों की लिंग संवेदनशीलताओं का उल्लेख करते हुए एक पृथक विवरण शामिल करके लिंग बजटिंग की शुरुआत की थी, जिसे सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तक विस्तारित किया जाना था। परंतु यह कार्य उस समय अधूरा रहेगा, जब तक सभी राज्य महिलाओं को विकास संबंधी न्याय सुनिश्चित करने के लिए सहयोग नहीं करेंगे। यह महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हुई हिंसा का निवारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उनके जन्म के पूर्व ही आरंभ होती है तथा उसके समस्त जीवनकाल तक चलती है। इसमें जाति, वर्ग, समुदाय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तथा यह ग्रामीण और शहरी सभी भागों में विद्यमान है। यह हमारी महिलाओं और बालिकाओं के लिए हिंसामुक्त विश्व सुनिश्चित करने के लिए एक सही मंच उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ हमारे सच्चे हृदय से और संपूर्ण शक्ति के साथ की गई सहायता है।''

राज्य सरकारें सामूहिक रूप से भारत सरकार की तुलना में महिला संबंधी व्यय के लिए उच्च राशि का योगदान करती हैं।

1993–94 से 2002–03 के दशक में **महिलाओं के संबंध में सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति** – महिला विकास पर मुख्य व्यय 1993–94 में 1083.57 करोड़ रु0 से बढ़कर 2002–03 (बजट अनुमान) में 3719.16 करोड़ रु0 हो गया है।

महिलाओं पर व्यय में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 40 से 50 प्रतिशत के बीच है।

उपर्युक्त स्थिति केवल राज्य सरकारों तक लिंग बजटिंग का विस्तार किए जाने की पहलों के महत्व को पुनःप्रवर्तित करती है। इसके अलावा, भारत सरकार की सभी महत्वपूर्ण स्कीमों के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों पर है। अतः राज्य सरकारों की पहलों के बिना लिंग बजटिंग की कोई भी कवायद अधूरी है। राज्य महत्वपूर्ण विभागों में लिंग बजट प्रकोष्ठों की स्थापना पर विचार कर सकते हैं।

लिंग बजटिंग (जीबी) प्रकोष्ठों की भूमिका

- सभी लिंग–संवेदी बजटीय पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं।
- जांच सूची I और II के अनुसार सार्वजनिक व्यय और नीतियों (व्यय/राजस्व/नीतियां/विधान आदि) की लिंग संवेदी पुनरीक्षा पर प्रायोगिक कार्रवाई।
- व्यय, राजस्व अर्जन/नीति/विधान के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों के लक्ष्य समूह के लिए लिंग गैर–संचयित डाटा पर मार्गदर्शन देना तथा उसका संकलन करना।
- विभागों के भीतर तथा सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय इकाइयों में लिंग बजटिंग पहलों को मार्गदर्शित करना।
- लिंग आधारित प्रभाव विश्लेषण, लाभार्थियों की आवश्यकताओं का आकलन तथा लाभार्थियों की संख्या का विश्लेषण संचालित करना। सार्वजनिक व्यय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना। सार्वजनिक व्यय के पुनर्प्राथमिकीकरण के लिए गुंजाइश की पहचान करना। क्रियान्वयन में सुधार लाना, आदि।
- स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए सहभागिता बजटिंग पर श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को समाविष्ट करना और उन्हें प्रवर्तित करना।

महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देश

महिलाओं को परियोजना चक्र की सभी अवस्थाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए।

परियोजना निर्माण और डिजाइन

1. तथ्यान्वेषी मिशनों के दोरान लिंग–संबंधी मुद्‌दों को सुनिश्चित करें तथा क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न भूमिकाओं, कृत्यों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना अवधारणा/मसौदा पत्र में उसका समावेशन करें।
2. यह सुनिश्चित करें कि मुद्‌दों के निवारण और विश्लेषण में मिशन की पहचान/तैयार करने के लिए विचारार्थ विषयों में महिलाओं के मुद्‌दों को शामिल कर लिया गया है।

3. परियोजना के निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन में सहायता करने के लिए महिला संबंधी मुद्दों में विशेषज्ञता रखने वाले किसी महिला विशेषज्ञ अथवा सामाजिक विकास विशेषज्ञ को नियुक्त करें। इसके अलावा, निर्णय लेने के स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर के पदों पर समुचित अनुपात में कर्मचारियों (पुरुष और महिला, दोनों) को नियुक्त/तैनात करें।
4. समस्त आधारभूत अध्ययनों में लिंग के आधार पर आंकड़ों को पृथक करें तथा आधारभूत अध्ययनों से लिंग–विशिष्ट संकेतकों की पहचान करें।
5. ऐसे सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन क्रियाकलाप संचालित करें जिनमें समुदाय स्तर की महिलाओं और पुरुषों की सक्रिय रूप से भागीदारी हो।
6. समग्र क्षमता विकास के भाग के रूप में क्रियान्वयन संस्थाओं की लिंग क्षमता का आकलन करें।

ध्यान रखने वाले मुद्दे

- महिलाओं और पुरुषों पर परियोजना के किसी भी प्रत्याशित नकारात्मक प्रभाव की पहचान करें (अर्थात बढ़ा हुआ कार्यभार, संसाधनों तक पहुंच की हानि जैसे, ऋण, जल, भूमि और प्रौद्योगिकी);
- महिलाओं की सहभागिता के लिए किसी भी बाधा की पहचान करें तथा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ठोस सिफारिशें करें (अर्थात यह सुनिश्चित करें कि बैठकें कार्य घंटों के बाहर न आयोजित की जाए अथवा यह कि शिशु–देखरेख पर भी विचार किया जा रहा है)।

परियोजना का क्रियान्वयन और निगरानी

1. परियोजना की निगरानी में महिला विशेषज्ञों को शामिल करें,
2. यह सुनिश्चित करने के लिए महिला समूहों अथवा उनके प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करें कि परियोजना क्रियाकलापों में महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है,
3. पुरुष और महिला लाभार्थियों के परिणामों में अंतर देखने के लिए लिंग संकेतकों को तैयार करें और उनका मापन करें,
4. यह सुनिश्चित करें कि कार्यक्रम के कर्मचारी परियोजना द्वारा संवितरणों की निगरानी करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके इनपुटों का प्रयोग इस प्रकार किया जा रहा है जिससे परियोजना के संसाधनों और लाभों तक महिलाओं की समान पहुंच सुनिश्चित हो रही है,

5. परियोजना प्रबंधन तथा बैठकों में महिलाओं और पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व की दिशा में प्रयास करें,
6. यह सुनिश्चित करें कि बैठकों और पुनरीक्षा के लिए तैयार कार्यसूची में लिंग संबंधी मुद्दों को उठाया/शामिल किया जा रहा है,
7. यह सुनिश्चित करें कि प्रगति रिपोर्ट विवरण आंकड़ों को लिंग के आधार पर गैर–संचयित किया जा रहा है तथा उनमें लिंग–संबंधी मुदों का विश्लेषण किया जा रहा है,
8. अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लिंग विश्लेषण प्रशिक्षण संचालित करें अथवा इस कार्य के लिए लिंग विशेषज्ञ की नियुक्ति करें; सभी प्रशिक्षण क्रियाकलापों में पुरुषों और महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व के लिए कार्य करें,
9. यह सुनिश्चित करें कि परियोजना के कार्मिक सफलता के लिंग संबंधी संकेतकों को समझते हैं और उनका प्रयोग करते हैं।

परियोजना समीक्षा और मूल्यांकन

निम्नलिखित संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं पर परियोजना हस्तक्षेपों के प्रभाव –

1. महिलाओं और पुरुषों के नेतृत्व और क्षमताओं को मजबूती प्रदान करना,
2. नए कौशलों का अर्जन (वित्तीय, प्रबंधकीय, संगठनात्मक, तकनीकी, आदि),
3. हस्तक्षेप से पूर्व की स्थिति की तुलना में संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच और नियंत्रण,
4. संवर्धित आर्थिक लाभों के संदर्भ में कार्यक्रम का प्रभाव तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए नए आर्थिक अवसरों का उन्नयन,
5. महिलाओं और पुरुषों के बीच कार्यक्रमों से लाभों के आदान–प्रदान की प्रकृति,
6. महिलाओं की व्यावहारिक और रणनीतिक आवश्यकताओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, संवर्धित रोजगार अवसर, राजनीतिक स्थिति, हिंसा, भूमि संबंधी पात्रताएं, आदि) पर कार्यक्रम के प्रभाव,
7. परियोजना की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया में संचालक और बाधाकारी कारक कौन से थे?
8. सीखे गए मुख्य सबक क्या हैं?

महिलाओं को समान अवसर प्रदान की रणनीतियां

1. **महिला समूहों का संगठन**

   पुरुष विस्तार कर्मियों को महिलाओं के निकट संपर्क में ऐसी स्थापनाओं में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य हों, जैसे महिलाओं के समूह। ऐसे समूह अवसंरचना तक पहुंच में सुधार भी ला सकते हैं।

2. ऊर्जा और समय की बचत के लिए प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से घरेलू और फार्म उत्पाद क्रियाकलाप। प्रौद्योगिकीय अभिनवताओं जैसे वीडर्स, धान कूटने की मशीन, विनोवर्स, स्पेयर्स, फसल के उपकरण, परबॉयलिंग इकाइयां, मक्का के छिलके उतारने की मशीन, दल बनाने की मशीन आदि महिलाओं के बोझ में कमी करेंगी।

3. ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बायोमास उत्पादन में वृद्धि करना, आम भूमियों पर तेजी से उगने वाले चारे का रोपण करना तथा चारे के आदान–प्रदान के लिए तंत्र विकसित करने से महिलाओं को काफी समय बचाने में मदद मिलेगी तथा वे अपने इस समय का प्रयोग आय बढ़ाने वाले कार्यकलापों के लिए कर सकेंगी।

4. संपार्श्विक और स्थानीय संस्थाओं (महिला समूहों) के गैर–पारंपरिक स्वरूपों का प्रयोग करते हुए अभिनव ऋण योजनाएं यह सुनिश्चित कर सकती है कि महिलाएं ऋण तक पहुंच हासिल करने में समर्थ हैं।

5. महिलाओं की सही प्रशिक्षण और विस्तार आवश्यकताओं की पहचान करना किसी भी विकासात्मक कार्यक्रम को आरंभ करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। लिंग विश्लेषणः प्रतिभागी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए क्रियाकलापों, संसाधनों, बाधाओं, विवक्षाओं और लाभों का लिंग विश्लेषण किया जाना चाहिए। आवश्यकता संबंधी आकलनों के लिए इस सूचना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए स्टाफ के कामिकों/विस्तार कार्यकर्ताओं की योग्यता का निर्माण किया जाना चाहिए।

6. बैठकों, प्रशिक्षणों, अनुभवजन्य दौरों तथा प्रदर्शनों में महिला किसानों को अधिक अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं की आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। महिला किसानों की सुविधा के अनुसार संस्थागत तथा ग्राम आधारित प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना चाहिए।

7. जहां अत्यंत विखण्डीकरण विद्यमान है, वहां महिलाओं द्वारा सामूहिक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

8. कृषक–से–कृषक प्रशिक्षण अथवा सहभागिता प्रशिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

9. सक्रिय महिलाओं का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा उन्हें संवर्धित प्रौद्योगिकी का अभ्यास करने के लिए इनपुट और ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। उनके खेतों का प्रयोग अन्य महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रदर्शन भूखण्डों के रूप में किया जा सकता है।

10. ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक महिला विस्तार कर्मियों को भर्ती करना और उन्हें प्रशिक्षित करना।

11. महिला परा–विस्तार कृषि में तुलनात्मक रूप से अशिक्षित महिलाएं होती हैं जिनके पास कृषि में अल्पावधि का त्वरित पाठ्यक्रम होता है तथा उन्हें उनके अपने गांवों में नियुक्त किया जा सकता है।

12. महिला पर्यवेक्षकों और एसएमएस की नियुक्ति।

13. पुरुष विस्तार एजेंटों का बेहतर प्रयोग करना; नियमित लिंग जागरूकता पाठ्यक्रमों के माध्यम से पुरुष एजेंटों की रुढ़िवादी प्रवृत्ति में बदलाव लाना; लिंग–भूमिकाओं की जानकारी में वृद्धि करना; महिलाओं के अनुकूल भाषा और संप्रेषण के प्रयोग में कौशल विकसित करना।

14. महिलाओं को संविदा कार्मिकों के रूप में प्रयोग करना।

15. महिला कृषकों के बच्चों के लिए शिशु–देखरेख केन्द्र। इससे बालिकाओं को विद्यालय जाने में सहायता मिलेगी।

16. बालिकाओं और महिलाओं के लिए उचित स्वास्थ्य देखरेख सहायता।

17. महिलाओं द्वारा संचालित किए जाने वाले अधिकांश सूक्ष्म उद्यम बाजार की आवश्कयताओं तथा बाजार की गत्यामकता पर आधारित होने के स्थान पर स्थानीय रूप से उपलब्ध कौशलों और कच्चे माल पर आधारित होते हैं। गहन बाजार अध्ययन उत्पादों के लिए प्रभावी विपणन कार्यनीति तैयार करने में सहायक होंगे। उत्पादों के सहकारी विपणन तथा उत्पादों के लिए ब्रांड नाम निर्दिष्ट करना संपोषणीय बाजारों की तलाश करने में सहायक होगा।

    कृषक महिलाओं के लिए कार्यक्रमों को तैयार करते समय बाजार विश्लेषण संचालित करने के लिए परामर्श नियुक्त करने की लागत तथा बाजार विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए।